रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 536] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 1972/पौष 9, 1894

No. 536] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 1972/PAUSA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December 1972

S.O. 776(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby extends upto 31st March, 1973, the period within which the Commission of Inquiry appointed by the Government of India in the Ministry of Home Affairs by notification No. S.O. 563(E) published at pages 1553 and 1554 of Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary, dated the 24th August, 1972, shall make its report to the Central Government.

[No. 31/6/72-Pol.I.]

T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1972

सा० आ० 776(अ).—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 24 अगस्त, 1972 के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) के पृष्ठ 1553 और 1554 पर प्रकाशित अधिसूचना सं० सा० आ० 563(ई) द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय में नियुक्त जांच आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को देने की अवधि एतद्द्वारा 31 मार्च, 1973 तक बढ़ाती है ।

[संख्या 31/6/72-पोल-1]

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972